

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समृद्ध पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम हो ही किया जाते न  
कि फिरी अन्य प्राविकारी के नाम हो।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च  
व्यवहार हुआ हो तो पंच क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूडीविल्टी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4536

दिनांक: 09/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कॉलेज ऑफ टाईफ साइंस, माझेर की माता, कैंसर पहाड़ी हिल्स, ग्वालियर (0751-2336502) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी. (माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक एवं बायोकेमिस्ट्री), एवं बी.एस.-सी., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442793)

(2) प्रो. ए.के. हल्वे, आचार्य, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. अविनाश तिवारी, आचार्य, सम्बन्धक, फूड टेक्नॉलॉजी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, घरेहर राति, तार्छित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुस्ति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किवेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की निरीक्षियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित तमाय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें; निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विधीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय छव्यां उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 ग्राम ने निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः बिरुद्ध हो जावेगी और युक्त निरीक्षण समिति अन्न हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुषगत किया जावेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जार्येंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुसुनिधि से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों के टी.ए. / डी.ए. / माकेडोन महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समृद्ध सदस्यों की ओट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओट भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि करने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)